रिंकु कुमारी : खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–विविध (आंनबाड़ी वाद सं0–11/2016–17)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
01.08.2017	आदेश	

यह विविध (आंगनवाड़ी) वाद सं0–11/2016–17 श्रीमती रिंकू कुमारी पति श्री पुष्पेन्द्र कुमार ग्राम+पोस्ट+थाना–परबत्ता, जिला–खगड़िया द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 27.08.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

अपील आवेदन में कहा गया है कि दिनांक 02.08.2016 को 10.50 बजे पूर्वाह्न में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र सं0–130 सियादपुरी अगुवानी का निरीक्षण किया गया था। जिसमें आरोप लगाया गया था कि केन्द्र पर बिना पोशाक के मात्र 08 (आठ) बच्चे थे। पुलाव की जगह खिचड़ी बनाया जा रहा था। केन्द्र के अन्दर अनाज की बोरी, जलावन एवं कोठी था।

इस आरोप पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया के ज्ञापांक 841 दिनांक 10.08.2016 से सेविका श्रीमती रिंकु कुमारी केन्द्र सं0–130 सियादपर अगुवानी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

आंगनबाड़ी सेविका द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया कि बच्चे पोशाक सफाई करने के लिए दिये थे। वर्षा का मौसम होने के कारण पोशाक सुखा नहीं था। बच्चे बर्त्तन लाने के लिए घर चले गये थे, जिसके कारण 08 (आठ) ही बच्चे केन्द्र पर उपस्थित थे। वार्ड सं0 12,13,14 तीन वार्ड का एक ही केन्द्र होने के कारण पोषक क्षेत्र की दूरी अधिक है जिसके कारण बच्चे को आने मे देर हुआ और खाना खाने के समय सभी बच्चे आ जाते हैं। केन्द्र के अन्दर अनाज की बोरी जमीन दाता का था जो गेहूँ को धूप में सुखाया जा रहा था और एकाएक वर्षा पड़ने के कारण अन्दर में गेहूँ को रख दिये और निरीक्षण के बाद गेहूँ उठा कर ले गये। जलावन का लकड़ी आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चें के भोजन बनाने के लिए था। वर्षा का मौसम होने के कारण कोठी में टेक होम राशन का चावल और दाल रखा जाता है।

उनका यह भी कहना है कि महिला पर्यवेक्षिका द्वारा प्रत्येक महिने आंगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण किया जाता है और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाता है और कोई अनियमितता नहीं पायी गयी है।

उनका यह भी कहना है कि आंगनबाड़ी सेविका द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा कोई विचार नहीं किया

गया और सेविका को दिनांक 27.08.2016 के आदेश से चयन मुक्त कर दिया गया। जिसकी सूचना जिला प्रोगाम पदाधिकारी, खगड़िया के ज्ञापांक 891, दिनांक 30.08.2016 के द्वारा दी गयी।

यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3200, दिनांक 07.08.2015 से आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के विरूद्ध दण्ड निरूपण संबंधी प्रावधान निर्धारित किया गया है।

उनका कहना है कि इस आरोप के लिए लघु दण्ड या चेतावनी दिया जाना चाहिए था उनके द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए जिला प्रोगाम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 27.08.2016 को पारित आदेश जो ज्ञापांक 891 दिनांक 30.08.2016 से निर्गत है उसे निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

अभिललेख में उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 02.08.2016 को आंगनवाड़ी केन्द्र सं0 130 का निरीक्षण जिला प्रोगाम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा किया गया था। निरीक्षण में पाया गया कि केन्द्र का संचालन अपना नया सरकारी भवन में संचालित है। बिना पोशाक के मात्र 08 (आठ) बच्चे उपस्थित पाया गया। बच्चे की उपस्थित पंजी से स्पष्ट हुआ कि दिनांक 01.08.2016 को 40 बच्चे की उपस्थिति दर्ज पाया गया था। सेविका पुलाव की जगह खिचड़ी बना रही थी। केन्द्र के अन्दर अनाज की बोड़ी एवं जलावन एवं अनाज का कोठी (चदरा) रखा हुआ पाया गया। सेविका द्वारा बताया गया कि जिनके द्वारा जमीन दान दी गयी है, सामग्री वगैरह उसी का है। पुनः सहायिका के अनुपस्थिति के बारे में पृच्छा की गयी तो सेविका द्वारा बताया गया कि सहायिका बच्चे को बुलाने गयी है।

उक्त के आलोक में सेविका से स्पष्टीकरण प्राप्त की गयी और सेविका द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर सभी साक्ष्यों एवं तथ्यों एवं विभागीय निदेश के अनुरूप केन्द्र संचालन में अनियमितता के लिए दण्ड निरूपण प्रावधान के आलोक में श्रीमती रिकू कुमारी सेविका आंगनवाड़ी केन्द्र सं0 130 को चयन मुक्त किया गया।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश सम्यक तथा सही है तथा इस अपील वाद को खारिज करने की प्रार्थना की गयी।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि सचिव, समाज कल्याण विभाग के पत्रांक 3200, दिनांक 07.08.2015 के द्वारा आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के विरूद्ध दण्ड निरूपण संबंधी प्रावधान निर्धारित किया गया है। उक्त के आलोक में आंगनवाड़ी

सेविका को लघु दण्ड या चेतावनी दिया जाना चाहिए था। इसलिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाए एवं सेविका को जो चयन मुक्त किया गया है उसे बहाल किया जाय।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया के द्वारा आंगनवाड़ी केन्द सं0 130 के निरीक्षण के समय निम्नांकित अनियमितता पायी गयी।

1. केन्द्र पर मात्र 08 बच्चे उपस्थित पाये गये।
2. सभी उपस्थित बच्चे बिना पोशाक के थे।
3. मीनू के अनुसार खाना नहीं बनाया जा रहा था।
4. केन्द्र के अन्दर अनाज की बोरी, जलावन, अनाज कोठी रखा पाया गया।

उक्त सभी आरोप काफी गंभीर प्रकृति के हैं। अतः अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह कहना कि सेविका को लघु दण्ड एवं चेतावनी दिया जाना चाहिए था, स्वीकार योग्य नहीं है। इससे स्पष्ट है कि आंगनवाड़ी सेविका द्वारा आंगनवाड़ी के केन्द्र का संचालन विभागीय निदेश के अनुरूप नहीं किया जा रहा था।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि सभी साक्ष्यों तथ्यों एवं विभागीय निदेश के अनुरूप केन्द्र संचालन में पायी गयी अनियमितता के दण्ड निरूपण प्रावधान के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 27.08.2016 को पारित आदेश जो ज्ञापांक 891, दिनांक 30.08.2016 से निर्गत किया गया है उसे यथावत रखा जाता है तथा अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।